# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 192/2006</u>

श्री विकास कुमार सिंह,
क्वार्टर नंबर 8–सी, सड़क नं0 1–7,
भिलाई नगर,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,
भिलाई नगर,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) ............ प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
( <u>दिनांक 01 फरवरी 2007</u> )

श्री विकास कुमार सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

**2/** अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी, कुलसचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से आवेदन–पत्र दिनांक 21 अप्रेल 2006 के द्वारा 07 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी, जिसमें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याताओं का विवरण, छात्रों की संख्या, ए.आई.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शैक्षणिक स्टॉफ की योग्यता पी.एच.डी. हेतु निर्धारित फीस आदि की जानकारी चाही थी। अपीलार्थी ने यह उल्लेख किया कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उसे पूर्ण रूप से नहीं दी गई। अपील किये जाने पर उसकी अपील नहीं ली गई, जिससे असंतुष्ट होकर उसने यह द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

**3/** आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे निर्धारित अवधि में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.04. 2006 के अनुसार छःबिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी जो कि उसे कुल सचिव छ.ग स्वामी विवेकानंद तकनीकी वि0वि0 के कुल सचिव के द्वारा पत्र दिनांक 27.04.2006 के द्वारा जानकारी दी गई। बिन्दु क्र. 1 के संबंध में अवगत कराया गया कि व्याख्याता, रीडर एवं प्रोफेसर की योग्यता, उनका नाम एवं पता संबंधित महाविद्यालय से पता किया जा सकता है। इसी प्रकार जिन महाविद्यालयों में एम.सी.ए. का पाठ्यक्रम संचालित हैं उनके नाम दिए गए तथा व्याख्याताओं, रीडरों, एवं प्रोफेसरों का विवरण संबंधित महाविद्यालयों में उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया। बिन्दु 3 के संबंध में सूचित किया गया कि ए.आई.सी.टी.ई 2006 फैकल्टी नार्म्स के अनुसार महाविद्यालयों में

व्याख्याता, रीडर एंव प्रोफेसर की सूची वि0वि0 के द्वारा तैयार की जारी है। बिन्दु क्. 4 के संबंध में सूचित किया गया है कि पी.एच.डी. फीस का निर्धारण वि0वि0 के द्वारा किया जाता है तथा पी.एच.डी. अध्यादेश कार्यपरिषद के द्वारा पारित किया जा चुका हे। बिन्दु क्. 5 के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन होने की सूचना दी गई है। यह भी सूचित किया गया कि पी.एच.डी. अध्यादेश पारित होने के उपरांत पी.एच.डी. हेतु फार्म जमा कराना नियमानुसार है। अपीलार्थी ने दिनांक 15.05.2006 को अपूर्ण जानकारी दिए जाने का उल्लेख किया। आयेाग के समक्ष प्रकरण पुनः प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वार पी.एच.डी. आर्डिनेंस नं. 10 की प्रति आयोग के निर्देशानुसार प्रदान की गई, साथ ही पी.एच.डी. एवं एम.आर्ट्स के शुल्क सूची की भी जानकारी दी गई। दिनांक 23.10.2006 को अपीलार्थी ने आयोग को सूचित किया कि उसे कुछ जानकारी दी गई है किन्तु चाही गई पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं दी गई। अतः आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को 10,000/– रू. शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिए गए। दिनांक 28.11.2006 को जन सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में उनके द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी को जानकारी प्रदान कर दी गई है तथा उसकी पावती भी ली गई। जो जानकारी वि0वि0 में उपलब्ध नहीं थी, वह भी महाविद्यालयों से लेकर अपीलार्थी को प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर, रीडर एवं व्याख्याता की सूची भी अपीलार्थी को प्रदान की गई जिसमें कि उनकी योग्यता आदि का उल्लेख है। सूची में आर–1 एवं आर–2 का उल्लेख है जिसका तात्पर्य जन सूचना अधिकारी ने यह बतलाया कि आर–1 विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित चयन समिति के द्वारा चयन किए गए व्यक्तियों की सूची है तथा आर–2 महाविद्यालयों के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। अपीलार्थी ने यह भी उल्लेख किया कि यह बंधनकारी नहीं है कि पी.एच.डी. थिसिस विश्वविद्यालय को तब तक प्रस्तुत नहीं की जा सकती जब तक कि विश्वविद्यालय को अनुसंधान केन्द्र के रूप में घोषित नहीं किया जावे, क्योंकि पी.एच.डी. थिसिस योग्यता प्राप्त परीक्षकों के द्वारा जांची जाती है। अपीलार्थी ने यह भी उल्लेख किया कि उसके द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश जानकारी देने में विलम्ब नहीं किया गया है। जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध थी वह निर्धारित अवधि में प्रदान की गई। शेष जानकारी अशासकीय तकनीकी महाविद्यालयों से प्राप्त होने पर दी गई। अशासकीय महाविद्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पृथक से लोक प्राधिकारी हैं, अतः अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि उन महाविद्यालयों में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी उनसे प्राप्त करें किन्तु फिर भी आयोग के निर्देशानुसार जानकारी इन महाविद्यालयों से प्राप्त कर अपीलार्थी को दी गई।

**4/** उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में जन सूचना अधिकारी के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध जानकारी दी गई है तथा शेष जानकारी भी अपीलार्थी को संबंधितों से प्राप्त कर प्रदान की गई। जानकारी दुर्भावनावश विलम्ब से दिये जाने का कोई प्रमाण अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को अर्थदण्ड हेतु जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

**5/** अपीलार्थी को पर्याप्त जानकारी उसके चाहे अनुसार प्रदान कर दी गई है। अतः इस प्रकरण में अग्रिम कोई कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
मुख्य सूचना आयुक्त